रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 12, 1973/आषाढ़ 21, 1895

No. 255] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 1973/ASADHA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 12th July 1973

S.O. 392(E)/15/IDRA/73.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs Engel India Machines & Tools Limited, 1, Taratala Road, Calcutta, is engaged in the scheduled industry, namely, the Machine Tool Industry;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the volume of production of the articles manufactured in the said industrial undertaking had been gradually going down and the production has now come to a stand still consequent upon the closure of the said industrial undertaking by the management for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the closure of the said industrial undertaking and to ensure that the production in the said scheduled industry does not suffer to the detriment of the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 291(E)/15/IDRA/73, dated the 23rd May, 1973, the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri N. Krishnaswamy, Deputy Director General, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Members

2. Shri P. R. Latey, Chief Planning Commission, New Delhi.
3. Shri N. Ray, Deputy Secretary, Department of Commerce & Industries, Government of West Bengal, Calcutta.

Member-Secretary

4. Shri R. N. Basu, Development Officer, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

2. The said body shall submit its report within six weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. F. 2(1)/73-C.U.C.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1973

का०आ० 392(अ) /15/आई डी आर ए/73.—यतः मैसर्स इन्जिल इन्डिया मशीन्स एण्ड टूल्स लिमिटेड, 1, तारातला रोड, कलकत्ता–1, नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग, अर्थात् उपयंत्र उद्योग में लगा हुआ है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा धीरे-धीरे घटती रही है और अब, प्रबन्ध-तन्त्र द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम के बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप, उत्पादन में गति-रोध आ गया है जिसका विद्यमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बन्द हो जाने से उत्पन्न परिस्थिति के उपाचार के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त अनुसूचित उद्योग में उत्पादन लोक हित के प्रतिकूल न गिरे तुरन्त कार्यवाही करना समीचीन है;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 29/(ई०)/15/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 23 मई, 1973 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों का पूर्णरूपेण अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

अध्यक्ष

1. श्री एन० कृष्णास्वामी,
 उपमहानिदेशक,
 तकनीकी विकास महानिदेशालय,
 नई दिल्ली ।

सदस्य

2. श्री पी० आर० लाटे
अध्यक्ष, योजना आयोग,
नई दिल्ली ।

3. श्री एन० रे,
उप-सचिव,
वाणिज्य और उद्योग विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार,
कलकत्ता

सदस्य-सचिव

4. श्री आर० एन० वसु,
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

2. उक्त निकाय, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[सं० फा० 2(1)/73-सी०यू०सी०]
डी० के० सक्सेना संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973